बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

का०आ०सं०–निग/सारा (एन०एच०) आरोप–23/2020 पटना, दिनांक–.....

श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन एट गया के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–101 के कि०मी० 45.00 से 65.00 पथांश में (Job No.-101-BR-2016-17-1547) कराये गये PR कार्य में बिटुमिन की जाँच कराये बगैर ही कार्य में उपयोग की अनुमति देने एवं कार्य से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय विपत्र पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करने संबंधी बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–149–सहपठित ज्ञापांक–7440(ई) अनु० दिनांक–19.11.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र के तहत् कुल 03 (तीन) आरोप निम्नवत् गठित किये गये हैं:–

(i) मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–532 अनु०–सह–पठित ज्ञापांक–532 दिनांक–23.02.2017 की कंडिका–10 में अंकित है कि कार्य से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति/कार्य की गुणवत्ता से संबंधित जाँच में किसी तरह के त्रुटि/त्रुटियों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होगें।

विभागीय निदेश के बावजूद कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के रूप में श्री पासवान द्वारा संवेदक के समर्पित पेपर की जाँच किये बगैर संवेदक के प्रथम एवं द्वितीय विपत्र को पारित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया।

(ii) कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा के पत्रांक–896 दिनांक–04.12.2017 एवं पत्रांक–812 दिनांक–28.11.2019 के परिप्रेक्ष्य में बिटुमिन चालानों का सत्यापन कराये जाने के क्रम में IOCL, Patna के पत्रांक–शून्य दिनांक–08.12.2017 एवं पत्रांक–शून्य दिनांक–29.11.2019 द्वारा बिटुमिन उठाव के संबंध में संवेदक के 31 चालानों में से सिर्फ 10 चालानों को ही सही पाया गया एवं शेष 21 चालानों को फर्जी पाया गया। इससे स्पष्ट है कि बिना बिटुमिन Procurement की जाँच कराये फर्जी चालानों पर किये गये बिटुमिन उठाव को कार्य में लाया गया।

(iii) Procured Bitumen की प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर I.S.-73 के अनुसार जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बिटुमिन को व्यवहार में लाने का निर्देश है, जिसका अनुपालन श्री पासवान के द्वारा नहीं किया गया तथा Bituminous कार्य कराया गया।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1303 अनु० दिनांक–31.05.2022 द्वारा उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के तहत् निष्कर्ष के रूप में श्री पासवान के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत् गठित कुल 03 (तीन) आरोपों में से आरोप संख्या–(i) एवं (iii) को आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या–(ii) को पूर्ण रूप से प्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री पासवान से विभागीय पत्रांक–415(ई) अनु० दिनांक–20.01.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के रूप में लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री पासवान के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–10.02.2023 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री पासवान के द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा के उपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–222 सहपठित ज्ञापांक–7223(ई) दिनांक–21.11.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया गया:–

(i) "दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"।

(07) अई० टी० मैनेजर

4. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री पासवान द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–11.12.2023 के माध्यम से अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्य अंकित किये गये है:–

(i) बिटुमेन उठाव के संबंध में संवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये चालानों की जाँच/सत्यापन कराने की जबावदेही कार्यपालक अभियंता की होती है। इस संबंध में साक्ष्य के रूप में विभागीय पत्रांक–9/अल०–05–03/03–8320(एस)अनु० पटना, दिनांक–21.07.2011 की छायाप्रति संलग्न किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अपनी समीक्षा में इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अंदाज किया गया है।

(ii) यह भी उल्लेख किया गया है कि आलोच्य कार्य का प्रथम चालू विपत्र तैयार करने के पूर्व ही उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता से मौखिक रूप से यह अनुरोध किया गया था कि संवेदक को भुगतान के पूर्व बिटुमेन पेपर (चालान) की जाँच करा ली जाय। साथ ही उनके अनुरोध पर सहायक अभियंता द्वारा लिखित रूप से कार्यपालक अभियंता से अनुरोध किया गया था कि भुगतान के पूर्व संवेदक के बिटुमेन पेपर (चालान) की जाँच करा ली जाय। सहायक अभियंता द्वारा एतद्संबंधी लिखे गये पत्र की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा यह बताया गया कि आलोच्य पथ की स्थिति खराब होने के कारण पथ कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की विभागीय समीक्षा बैठक में उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार निदेश दिये जा रहे हैं। जनहित में आलोच्य कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की बात कहते हुए उनके द्वारा कार्य जारी रखने एवं विपत्र तैयार करने की मौखिक रूप से निदेश दिया गया। इस तरह Engineer-in charge के रूप में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये निदेश का उनके द्वारा अनुपालन किया गया है। इस संबंध में इनके द्वारा तदेन कार्यपालक अभियंता (श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया) के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर का संदर्भ दिया गया है, जिसमें श्री चौरसिया के द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणों से कार्यहित एवं जनहित में तत्समय बिटुमेन चालान की जाँच/सत्यापन नहीं कराया गया है।

5. विदित हो कि उक्त संसूचित दंडादेश को निरस्त करने हेतु श्री पासवान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-13974/2024 भी दायर किया गया, जिसमें दिनांक–17.09.2024 को पारित आदेश के द्वारा श्री पासवान के अपील अभ्यावेदन पर Conscious decision लिये जाने हेतु निदेशित किया गया।

6. CWJC No.-13974/2024 में दिनांक–17.09.2024 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश को दृष्टिगत रखते हुए श्री पासवान के समर्पित अपील अभ्यावेदन के निष्पादन हेतु दिनांक–11.02.2026 को पासवान की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में श्री पासवान के द्वारा अपने बचाव में अपील अभ्यावेदन में अंकित किये गये तथ्यों एवं तर्कों को दुहराया गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री पासवान के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय पत्रांक–9/अल०–05–03/03–8320(एस) अनु० दिनांक–21.07.2011 के अनुसार संवेदक के दस्तावेजी प्रमाण–पत्र (इनवायस इत्यादि) की शुद्धता की जाँच कराने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता की होती है। इस मामले में संबंधित सहायक अभियंता के द्वारा बिटुमेन चालान/पेपर की जाँच कराने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुरोध भी किया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता (श्री देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया) के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भ में विभिन्न परिस्थितिजन्य करणों से कार्यहित में संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराया जा सका। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक के बिटुमेन चालान का सत्यापन नहीं कराने के लिए सीधे तौर पर संबंधित कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार हैं। इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध भी कार्रवाई करते हुए दंड अधिरोपण की कार्रवाई की गयी है। चूँकि इस मामले में श्री पासवान के द्वारा मापीपुस्त/विपत्र तैयार करने के कारण संवेदक को आंशिक रूप से भुगतान किया गया है, इसलिए बिटुमेन चालान के सत्यापन कराये बगैर संवेदक को भुगतान हो जाने के लिए आंशिक रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। ऐसी स्थिति में श्री पासवान के विरूद्ध "दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक रूप से रोक" के संसूचित दंड को प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक नहीं माना जा सकता है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री पासवान के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा "दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" के संसूचित दंडादेश (विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–222 सहपठित ज्ञापांक–7223(ई) दिनांक–21.11.2023) को पुनरीक्षित करते हुए प्रमाणित आरोपों के समानुपातिक बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14(i) के तहत् श्री पासवान के विरूद्ध "निन्दन (आरोप वर्ष 2017–18)" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–23/2020 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग,बिहार, पटना/विशेष सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर/दक्षिण) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन एट गया /उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–06, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01/02/03/06/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री वीरेन्द्र पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा सम्प्रति कनीय अभियंता,** राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन एट गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–23/2020 2283 (5) पटना, दिनांक :– 19/3/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

19.3.2026
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।